भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2188**

दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए
विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति को निवेशकों के
अनुकूल बनाया जाना

2188. **श्रीमती गुन्डु सुधारानीः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस॰ई॰जेड॰) का निष्पादन उतना उत्साहवर्धक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो एस॰ई॰जेड॰ नीति को निवेशक–अनुकूल बनाने के लिए उनका मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है;

(ग) नीतिगत मुद्दे और उस नीति के अनुपालन के संबंध में उनके मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच मतभेद रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) मंत्रालय द्वारा उक्त स्थिति का समाधान करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया)

(क) और (ख) : फरवरी 2006 में एसईजेड अधिनियम तथा नियमों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात छह वर्ष की लघु अवधि में 589 एसईजेडों की स्थापना हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं, जिनमें से अब तक 389 एसईजेड अधिसूचित किए जा चुके हैं । एसईजेडों में कुल 8,15,308 व्यक्तियों को प्रदत्त कुल रोजगार में से 6,80,604 व्यक्तियों को प्रदत्त रोजगार फरवरी 2006 में एसईजेड अधिनियम के लागू होने के पश्चात सृजित वृद्धिकारी रोजगार है । यह विकासकर्ताओं द्वारा अवसंरचनात्मक कार्यकलापों हेतु लाखों की संख्या में सृजित दैनिक रोजगारों के अतिरिक्त है । एसईजेडों से किए जाने वाले वास्तविक निर्यात वर्ष 2009-10 में 2,20,711.39 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 3,15,867.85 करोड़ रूपए के हो गए हैं, जिनमें 43.11% की वृद्धि दर्ज की गई है । गत आठ वर्षों के दौरान (वर्ष 2003-04 से 2010-11) निर्यात में समग्र रूप से 2180% की वृद्धि हुई है । दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक अर्थात चालू वित्त वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में एसईजेडों से कुल वास्तविक निर्यात अनुमानतः 2,60,972.89 करोड़ रूपए के रहे हैं जिसमें पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में 14.50% की वृद्धि दर्ज की गई है । दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक एसईजेडों में किया गया कुल निवेश लगभग 2,49,630.82 करोड़ रू. है, जिसमें नव अधिसूचित जोनों हेतु 2,31,159.87 करोड़ रूपए शामिल हैं ।

यथाआवश्यक सरकारी नीति एवं प्रक्रियाओं की सतत समीक्षा एवं सुधार, सार्वजनिक नीति की विशेषता है ।

(ग) और (घ) : एसईजेड, एसईजेड अधिनियम 2005 तथा उनके अंतर्गत निर्धारित नियमों द्वारा शासित होते हैं । अंतर मंत्रालयीन परामर्शन तथा मतों का सुमेलीकरण निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाता है ।